

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय


क्रमांक: प.28(1)म.म./2009

जयपुर, दिनांक 21.09.2010

अधिसूचना

भारत के महारजिस्ट्रार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली की संलग्न अधिसूचना का. आ. 2172(अ) दिनांक 31 अगस्त, 2010 को राज्य सरकार एतद द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रसारित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से


प्रमुख शासन सचिव

<p>गृह मंत्रालय (भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)</p> <p>अधिसूचना</p> <p>नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2010</p> <p>का. आ. 2172(अ).-जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अनुदेश और निदेश देती है कि भारत की जनगणना 2011 के संबंध में परिवार अनुसूची के माध्यम से जानकारी एकत्रित करने के लिए जनगणना अधिकारी अपनी नियुक्ति के स्थानीय क्षेत्र की सीमाओं के भीतर सभी व्यक्तियों से निम्नलिखित मदों के संबंध में सभी प्रश्न पूछ सकता है, नामतः :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. व्यक्ति का नाम 2. मुखिया से संबंध 3. लिंग 4. जन्मतिथि और आयु (पूर्ण हुए वर्षों में) 5. इस समय वैवाहिक स्थिति 6. विवाह के समय आयु (पूर्ण हुए वर्षों में) 7. धर्म 8. अनुसूचित जाति (अजा)/अनुसूचित जन जाति(अजजा) (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का नाम) 9. निःशक्तता 10. मातृभाषा 11. अन्य भाषा का ज्ञान 12. साक्षरता की स्थिति 13. शैक्षणिक संस्थान में पढ़ने की स्थिति 14. प्राप्त शिक्षा का उच्चतम स्तर 15. कर्मी और गैर-कर्मी की विशेषताएं- क्या पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय काम किया (दीर्घकालिक, अल्पकालिक और गैर-कर्मी के लिए) 16. आर्थिक कार्यकलाप की श्रेणी 17. व्यवसाय 18. उद्योग, व्यापार अथवा सेवा का स्वरूप 19. कर्मी का वर्ग 20. गैर-आर्थिक कार्यकलाप (अल्पकालिक और गैर-कर्मी के लिए) 21. काम की खोज में अथवा काम के लिए उपलब्ध (अल्पकालिक और गैर-कर्मी के लिए) 22. कार्यस्थल तक की यात्रा 23. स्थान परिवर्तन की विशेषताएं- जन्मस्थान 24. पूर्व निवास स्थान 25. स्थान परिवर्तन का कारण 26. स्थान परिवर्तन के पश्चात गाँव/नगर में निवास की अवधि 27. प्रजननता विवरण- जीवित बच्चे (केवल इस समय विवाहित, विधवा, तलाकशुदा अथवा संबंध विच्छेदित महिला के लिए) 28. कर्मी भी पैदा हुआ बच्चा (केवल इस समय विवाहित, विधवा, तलाकशुदा अथवा संबंध विच्छेदित महिला के लिए) 29. पिछले एक वर्ष के दौरान जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या (केवल इस समय विवाहित महिला के लिए) <p>{फा.सं. 9/7/2009-सी.डी.(सेन)} च. चन्द्रमौलि, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त</p>	<p>MINISTRY OF HOME AFFAIRS (OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA)</p> <p>NOTIFICATION</p> <p>New Delhi, the 31st August, 2010</p> <p>S.O. 2172(E).- In exercise of the powers conferred by Sub- Section 1 of Section 8 of the Census Act, 1948 (37 of 1948), the Central Government hereby instructs and directs that the Census Officers may ask all such questions of all persons within the limits of the local area for which he is appointed, for collecting information through the Household Schedule in connection with the Census of India-2011, on the items enumerated below, namely:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name of the person 2. Relationship to Head 3. Sex 4. Date of Birth and Age (in completed years) 5. Current Marital Status 6. Age at Marriage (in completed years) 7. Religion 8. Scheduled Caste(SC)/Scheduled Tribe(ST) (name of the Scheduled Caste/ Scheduled Tribe) 9. Disability 10. Mother Tongue 11. Other languages known 12. Literacy Status 13. Status of attendance in Educational Institution 14. Highest Educational Level attained 15. Characteristics of workers and non-workers- Worked any time during last year (for main, marginal and non-workers) 16. Category of economic activity 17. Occupation 18. Nature of Industry, Trade or Service 19. Class of workers 20. Non-economic activity (for marginal and non-workers) 21. Seeking or available for work (for marginal and non-workers) 22. Travel to place of work 23. Migration Characteristics- Birth place 24. Place of last residence 25. Reason for Migration 26. Duration of stay in the village/ Town since migration 27. Fertility particulars- Children Surviving (for currently married, widowed, divorced or separated women only) 28. Children ever born (for currently married, widowed, divorced or separated women only) 29. Number of children born alive during last one year (for currently married women only) <p>[F.No. 9/7/2009-CD(CEN)] C. CHANDRAMOULI, Registrar General and Census Commissioner, India</p>
---	---


राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.,
“कर-भवन”, अजमेर

क्रमांक: एफ-7(40)जन/10/16367-16816

दिनांक: 19/10/2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamp.gov.in पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
7. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
8. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
9. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
10. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
11. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
12. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
13. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
14. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
15. निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
16. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।


अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर